फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री विजय ओस्तवाल - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-2 4. श्री राजा लोढ़ा - वकील प्रत्यर्थी-51 से 55 **अनवान** 1. **श्रीमती अजरा खान पत्नि श्री मेहबुब अहमद खान, निवासी मेहता जी की बाड़ी, न्यु जयश्री कॉलोनी, बोहरा गणेशजी के पास, उदयपुर।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।** 2. **नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, कार्यालय सहेली मार्ग, उदयपुर।** 3. **श्री दिनेश पिता स्व. श्री कन्हैयालाल, निवासी 17-ए, कस्तुरबानगर सुषणा गैस गौदाम के पास, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, जयपुर।** 4. **श्री सुभाष मेहता पिता स्व. श्री कन्हैयालाल, निवासी 58 मेहता जी की खिड़की, मोचीवाड़ा के अन्दर, उदयपुर।** 5. **श्रीमती कला पिता स्व. श्री कन्हैयालाल, पत्नि श्री कुन्दनमल कोठारी, निवासी ग्राम नाई तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।** 6. **श्रीमती शीला पुत्री स्व. श्री कन्हैयालाल, पत्नि श्री करणमल कोठारी, निवासी 227, उत्तरी सुन्दरवास, उदयपुर।** 7. **श्रीमती जसवंतदेवी पत्नि स्व. श्री कन्हैयालाल, निवासी 17-ए, कस्तुरबानगर सुषणा गैस गौदाम के पास, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, जयपुर।** 8. **श्री मोहनलाल सुहालका पिता श्री चुन्नीलाल सुहालका, निवासी सुहालका भवन, खेरादीवाड़ा चौक, उदयपुर-** **8.1. हरीश सुहालका पिता स्व. श्री मनोहरलाल सुहालका, निवासी सुहालका भवन, खेरादीवाड़ा चौक, उदयपुर** **8.2. ललित सुहालका पिता स्व. श्री मनोहरलाल सुहालका, निवासी सुहालका भवन, खेरादीवाड़ा चौक, उदयपुर** 9. **श्रीमती जनतकंवर पत्नि श्री विजयसिंह सिंघवी, निवासी पुराना फतहपुरा, उदयपुर पिता स्व. श्री मनोहरलाल सुहालका, निवासी सुहालका भवन, खेरादीवाड़ा चौक, उदयपुर** 10. **श्रीमती गीता देवी पत्नि स्व. श्री गमेरसिंह, निवासी पदमा 27-161 डी ईशवार्गन संभाग, पोस्ट ऑफिस (पीओ) केलीकट 673016 केरल** 11. **श्री जितेन्द्र पिता स्व. श्री गमेरसिंह, निवासी पदमा 27-161 डी ईशवार्गन संभाग, पोस्ट ऑफिस (पीओ) केलीकट 673016 केरल** 12. **श्री सुरेश पिता स्व. श्री गमेरसिंह, निवासी पदमा 27-161 डी ईशवार्गन संभाग, पोस्ट ऑफिस (पीओ) केलीकट 673016 केरल** 13. **श्री तेजसिंह मेहता पिता स्व. श्री गमेरसिंह, निवासी 341 युआईटी सामुदायिक भवन के पास, सेक्टर नम्बर 11, उदयपुर।** 14. **श्री नीलू पिता स्व.गमेरसिंह पत्नि श्री हेमन्त नागोरी, निवासी 9 गोपाल सोसायटी, सविनाखेड़ा रोड़, जनरेटर गोदाम के पास, उदयपुर।** 15. **श्री विशाल गलुण्डिया पिता स्व. कला, निवासी नमस्कार ज्वेलर्स, कालबा देवी मंदिर के पास, जवेरी बाजार, मुम्बई।** 16. **श्री आशीष जैन पिता स्व. श्री निर्भय सुखलेचा, निवासी 75 नवरत्न कॉम्प्लेक्स के पास, उदयपुर।** 17. **श्री जैविक जैन पिता श्री प्रकाश मेहता, निवासी 10 सांकेत नगर, के.एस. फोर्ड के पीछे, सोड़ाला, जयपुर।** 18. **श्रीमती कविता पत्नि श्री देवेन्द्र कुमार मेहता, निवासी 175, एमबी नगर, शांति विहार, निर्माणनगर, जयपुर।** 19. **नेहा पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार मेहता, निवासी 175, एमबी नगर, शांति विहार, निर्माणनगर, जयपुर।**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20. मेघा पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार मेहता, निवासी 175, एमबी नगर, शांति विहार, निर्माणनगर, जयपुर। 21. पारूल पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार मेहता, निवासी 175, एमबी नगर, शांति विहार, निर्माणनगर, जयपुर। 22. पीयुष पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार मेहता, निवासी 175, एमबी नगर, शांति विहार, निर्माणनगर, जयपुर। 23. श्रीमती पुष्पा मेहता पत्नि स्व. श्री कृष्णकान्त (कमलकांत), निवासी 3-त-31, जवाहरनगर, जयपुर। 24. श्री शरद मेहता पिता स्व. श्री कृष्णकान्त (कमलकांत), निवासी 3-त-31, जवाहरनगर, जयपुर। 25. श्रीमती नम्रता खेतान पिता स्व. श्री कृष्णकान्त (कमलकांत), पत्नि श्री मुद्रित रोतान, निवासी 45ए, ब्लॉक सेन्ट एडमंस विद्यालय के पास, जयपुर। 26. श्रीमती शमता वैध पिता स्व. श्री कृष्णकान्त (कमलकांत), पत्नि श्री मुद्रित वैध, निवासी 23, वेदांतनगर, हाउसिंग बोर्ड, श्री गंगानगर। 27. श्री जया मुणोत पिता स्व. श्री गणेशलाल पत्नि अजीत मुणोत, निवासी जी-1, वैकुण्ठ नाथ धाम उद्योग के सामने, आनन्द बाजार, इन्दौर। 28. श्रीमती चन्द्रा पिता स्व. श्री गणेशलाल पत्नि श्री एचके मेहता, निवासी 21 बापना कॉलोनी, चन्द्रोदय बरसीया रोड़, भोपाल। 29. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि स्व. श्री भगवतीलाल, निवासी 279, बी महावीर भवन के पास, सेक्टर नम्बर 3, हिरण मगरी, उदयपुर। 30. श्री परसकुमार पिता स्व. श्री भगवतीलाल, निवासी 279, बी महावीर भवन के पास, सेक्टर नम्बर 3, हिरण मगरी, उदयपुर। 31. श्री रंजीतसिंह पिता स्व. श्री भगवतीलाल, निवासी 279, बी महावीर भवन के पास, सेक्टर नम्बर 3, हिरण मगरी, उदयपुर। 32. श्री राजेन्द्र मेहता पिता स्व. श्री भगतवीलाल, निवासी 38, भुपालपुरा एफ रोड़, उदयपुर। 33. श्री जयप्रकाश मेहता पिता श्री स्व. श्री भगवतीलाल, निवासी ईडी, 38, बप्पा रावल नगर, सेक्टर नम्बर 6, उदयपुर। 34. श्री सुरेन्द्र काष्ठा पिता स्व. बालुराम काष्ठ, निवासी भाग्यश्री गार्डन के पास, मयुर कॉम्प्लेक्स, सेक्टर नम्बर 4, उदयपुर। 35. श्री दिनेश पिता श्री कनकलाल, निवासी सी-7, कुंभानगर, डाक बंगला के पीछे, चित्तौड़गढ़। 36. श्रीमती आशा कोठारी पिता स्व. श्री कनकलाल पत्नि श्री प्रदीप कोठारी, निवासी 52, जैन कॉलोनी, राजकिरण गार्डन के सामने, न्यु भूपालपुरा, उदयपुर। 37. श्रीमती बीना जैन पिता स्व. श्री कनकलाल जी पत्नि श्री हेमेन्द्र दक, निवासी 3-अ-10, तलमंडी, कोटा। 38. श्री आलोक पिता स्व. श्री हरिसिंह, निवासी 21-ए, चन्दनवाले भैरूजी के पास, केशवनगर, उदयपुर। 39. श्री दिनेश (पिन्टु) पिता स्व. श्री हरिसिंह, निवासी 21-ए, चन्दनवाले भैरूजी के पास, केशवनगर, उदयपुर। 40. श्री ललित कुमार पिता स्व. श्री मनोहरलाल, निवासी 8, मयुरगंज कॉलोनी, डॉ. ए. के.खरे के पास, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, हिरण मगरी, सेक्टर, उदयपुर। 41. श्री राजकुमार पिता स्व. श्री मनोहरलाल, निवासी 24, शुभम कॉम्प्लेक्स कॉलोनी, सावित्री के पास, मनवाखेड़ा, सेक्टर नम्बर-4, उदयपुर। 42. श्री नरेन्द्र कुमार पिता श्री मनोहरलाल, निवासी 125, सर्वऋतु विलास, गुलाबबाग के पास, उदयपुर। 43. श्री रोशनलाल पिता स्व. श्री मनोहरलाल पत्नि श्री दिलीप जारोली, निवासी नयी आबादी, चित्तौड़ रोड़, प्रतापगढ़। 44. श्रीमती मीनाक्षी कोठारी पिता स्व. श्री मनोहरलाल पत्नि श्री रमेश कोठारी, निवासी बिल्डिंग शकुन्तलाल देवी, 72 क्रास 5 ब्लॉक, राजाजी नगर, 61, क्लॉक सर्कल के पास, बैंगलोर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

45. **श्रीमती मीना पत्नि श्री सुनील सिंघवी, निवासी खारोल कॉलोनी, फतहपुरा, सिंघवी हाउस, उदयपुर।**
46. **श्री अनिल पिता श्री जीवनलाल मेहता, निवासी 6, न्यु शांतिवन कॉलोनी, बेदला बड़गावं लिंक रोड़, बड़गावं, उदयपुर।**
47. **श्री बसन्त पिता श्री जीवनलाल मेहता, निवासी 44, महावीर कॉलोनी, बेदला रोड़, साईफन के पास, उदयपुर।**
48. **श्री शरद पिता श्री जीवनलाल मेहता, निवासी एस-38, ओल्ड राजपूत रोड़, बैगलोर।**
49. **श्रीमती रेखा पुत्री श्री जीवनलाल मेहता, निवासी 4, नाकोड़ा कॉलोनी, पंचोली चौराहा, रामनगर, अजमेर।**
50. **श्री संजय मेहता पिता स्व. श्री हिम्मतसिंह पठान, निवासी 378, रोड़प्रति ओम पेलेस, भुपालपुरा, उदयपुर।**
51. **श्री राजा लोढ़ा पिता स्व. श्री प्यारेलाल लोढ़ा, निवासी 5/44, अशोकनगर, उदयपुर।**
52. **श्रीमती काननबाला लोढ़ा पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल लोढ़ा, निवासी 5/44, अशोकनगर, उदयपुर।**
53. **श्रीमती जयश्री लोढ़ा पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल लोढ़ा, निवासी 5/44, अशोकनगर, उदयपुर।**
54. **श्रीमती नीलीमा लोढ़ा पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल लोढ़ा, निवासी 5/44, अशोकनगर, उदयपुर।**
55. **श्रीमती नीरजा लोढ़ा पुत्री स्व. श्री प्यारेलाल लोढ़ा, निवासी 5/44, अशोकनगर, उदयपुर।**

-प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा बप्रकरण संख्या 130/2019 निर्णय दिनांक 13.09.2022 (अनवान श्री राजा लोढ़ा बनाम तहसीलदार व अन्य)

निर्णय

दिनांक 23.08.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा बप्रकरण संख्या 130/2019 निर्णय दिनांक 13.09.2022 (अनवान श्री राजा लोढ़ा बनाम तहसीलदार व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थीगण संख्या 51 से 55 श्री राजा लोढ़ा व अन्य द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता स्व. प्यारेलाल लोढा साबिक आराजी संख्या 652 रकबा 2 बीघा कृषि भूमि भूमि को दिनांक 25.03.82 को ग्राम पायड़ा जोन 3 के आवासीय/व्यवसायिक कार्य हेतु रूपान्तरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नंबर 95/82, 99/82, 98/82, 97/82 एवं 96/82 दर्ज होकर आदेश दिनांक 11.08.87 को द्वारा न्यायालय प्राधिकत अधिकारी (एसडीओ भूमि रूपान्तरण प्रथम) द्वारा विस्तृत जांच करने के पश्चात नियमन आदेश जारी किये गयें। श्री संजय मेहता पुत्र स्व. हिम्मतसिंह मेहता निवासी 59, मेहता जी की खिड़की उदयपुर द्वारा अपने हिस्से की जमीन में से श्रीमती अजरा पत्नी महबुब खान निवासी 19 गरीब नवाज कॉलोनी रूपसागर, उदयपुर 484/5250 हिस्से को उक्त क्रेता को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय गलत षडयन्त्रकारी एवं धोखाधड़ीपूर्वक किया गया क्योंकि संजय मेहता ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सरकारी भूमि जो कि आराजी संख्या 958 रकबा 0.0350 हैक्टैयर एवं साबिक आराजी संख्या 653 रकबा डेढ बीघा अर्थात 0.3240 हैक्टेयर था जिसके हाल आराजी संख्या 959 व 960 जिसका रकबा 0.3950 हेक्टेयर खाते में दर्ज है जो कि 0.0710 हैक्टेयर अधिक है एवं यह अधिक भूमि राज्य सरकार की है एवं हाल आराजी संख्या बिलानाम 961 जो रास्ते की दर्शायी गयी है पर भी अनाधिकृत रूप से अपना कब्जा कर रखा है। इसकी सत्यता के लिये प्रकरण संख्या 45/2015 एवं प्रकरण संख्या 323/2016 के अन्दर आदेश धारा 91ए नगर विकास प्रन्यास अधिनियम 1956 के अन्तर्गत फैसला दिनांक 20.04.2015 एवं 09.02.2017 को पारित किया है जिसमें उक्त दोनो प्रकरण में उक्त श्रीमती अजरा एवं संजय को अतिक्रमी मानकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। खसरा पत्रक पायड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर विक्रम संवत् 2038 सन् 1981 के अनुसार रेकर्ड ऑफ राईट के तहत खसरा नंबर 958 क्षेत्रफल 0.0350 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बिड को प्लाट से संबोधित कर दर्ज कर रखा है एवं विक्रम संवत् 2042 जमाबन्दी के अनुसार खसरा नंबर 942 एवं 958 के आगे प्लोट अंकित है जो एसडीओ एल सी प्रथम के आदेश एसटीपी के एप्रुवल कलेक्टर के अप्रुवल से अनुमोदित नक्शे के अनुसार ही है परन्तु 17.07.2014 के बेचान के बाद साबिक आराजी 653 हाल आराजी 959, 960 में दर्ज कर दी गयी है जिससे उक्त आराजी का रकबा 0.0710 हैक्टेयर ज्यादा हो गया। इसकी शुद्धि करा पुनः सरकार के नाम पर दर्ज कराया जाना आवश्यक है और उक्त आदेश से किसी भी व्यक्ति के मुल अधिकार खातेदारी अधिकार, एवं जमीन के लेखे जोखे में किसी भी प्रकार का रद्दोबदल नहीं होगा। 653 जो कि डेढ़ बिघा यनि 0.3240 हैक्टेयर होती है, वही रहेगी एवं 644 जो कि दो बीघा एक बीस्वा होती है, वह इन्द्राज दुरस्ती के बाद भी 0.4228 हैक्टेयर यानि दो बीघा एक बीस्वा रहेगी। इससे यह प्रमाणित होगा कि सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बेचान एवं अन्य गैरकानूनी तरीके से कार्य हो रहा है तथा सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द कर अनाधिकृत दाखिले लगवाकर खातेदारी अधिकारी दिये गए है। जमाबन्दी में भी जो दाखिले लगाये जा रहे है एवं आराजी को अन्य खातेदारों के नाम पर दर्ज किया जा रहा है, वह बिना सक्षम आदेशों के तहत किया जा रहा है। (नामान्तरण संख्या 868/17.10.14 में कही पर भी यह दर्ज नहीं किया गया है कि यह दाखिला जो स्वीकृत हुआ है वो किस आराजी के लिये हुआ है जबकि नामान्तरण संख्या 869/17.10.14 को देखने से यह स्पश्ट है कि आराजी संख्या 959 व 960 में जो संजय मेहता का हिस्सा था उसमें से बेचान 391/5250 में से श्रीमती मेहमुदा पत्नी वसीम मुर्तजा निवासी-मजिस्द के सामने गणेश नगर, पायड़ा उदयपुर (राज.) के नाम 271/5250 हिस्से को दर्ज करने की स्वीकृति हुई शेष आराजी नंबर 959 एवं 960 में संजय पिता स्व. हिम्मत सिंह के 120/5250 हिस्सा बरकरार से भी स्पष्ट है कि आराजी संख्या 958 उनके अधिकार का हिस्सा नहीं है किन्तु संजय मेहता द्वारा विक्रय पत्र के अन्दर विक्रेता एवं क्रेता का साफ रूप से जालसाजी, धोखाधडी को दर्शाती है क्योंकि आराजी संख्या 958 को उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय करना दर्ज कर रखा है जो सरकारी भूमि है। प्रार्थीगण (वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-51 से 55 श्री राजा लोढ़ा व अन्य) की साबिक आराजी नंबर 652 रकबा 2 बीघा अर्थात 0.4320 हेक्टेयर भूमि ग्राम पायड़ा हल्का मादड़ी पुरोहितान तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में स्थित होकर हाल आराजी संख्या 942 रकबा 0.0450 हेक्टेयर 943 रकबा 0.1850 हेक्टेयर एवं 944 रकबा 0.0800 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.3100 हेक्टेयर ही रह गया है। अर्थात साबिक आराजी से नये आराजी में रकबा 0.1220 हेक्टेयर क्षेत्रफल कम दर्ज हुआ है जिसके लिये विशेषाधिकारी नविप्र उदयपुर ने अपने पत्र	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्रमांक एफ II ( ) रिजन 2/ /2018/493 दिनांक 08.10.2018 द्वारा दोनों पक्षों आराजी संख्या 942, 943, 944 के खातेदार एवं आराजी नंबर 958 के खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रेकर्ड में दुरूस्ती/शुद्धि की कार्यवाही यदि आवश्यक हो तो धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निवेदन किया है। प्रार्थीगण की हाल आराजी में से जो कि 942, 943, 944 एवं 958 है आराजी संख्या 958 विपक्षीगण तीन से इक्यावन (अधीनस्थ न्यायालय के प्रत्यर्थी) तक के विरूद्ध है और प्रभावित हितबद्ध पक्षकार प्रार्थीगण एवं नविप्र एवं तहसीलदार गिर्वा है, जोकि विधिक रूप से 90 बी के पश्चात एवं कृषि भूमि होने के नाते सरकार का अधिकार है किन्तु दिनेश पिता स्व. कन्हैयालाल मेहता एवं अन्य तो लिपिकीय त्रुटि की वजह से खातेदार दर्ज कर दिये गये है जिसकी शुद्धि कराना न्यायोचित है। आराजी नंबर 958 लिपिकीय त्रुटि के कारण आराजी संख्या 959 960 में दर्ज कर दी गयी है जो कि सक्षम न्यायालय (एसडीओ एल सी प्रथम उदयपुर) के आदेशों के विरूद्ध है। साथ ही आराजी संख्या 969, 970 971 में दर्ज 0.0622 हेक्टैयर ज्यादा भूमि भी उपरोक्त वर्णित सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विपरीत है क्योंकि नविप्र पत्र एफ II ( ) रिजन 2/ /2018/493 दिनांक 08.10.2018 में स्वीकार किया गया कि युआईटी उदयपुर के खाते में 0. 1220 हेक्टेयर भूमि कम दर्ज हुई है यह स्थापित होता है जो कि 0.710 हेक्टैयर एवं 0.0622 हेक्टेयर कुल 0.1332 हेक्टैयर होती है। माननीय राज्यपाल महोदय की अधिसूचना क्रमांक प 6 (30) नाविवि/2000 जयपुर दिनाक 01.11.2002 में डिस्ट्रीक्ट सेन्टर राणा प्रताप सागर योजना में आने वाली समस्त भूमि को विवरण राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित कराया गया एवं उसे जरिये अवाप्ति की सूचना जारी की गयी तत्पश्चात अवाप्ति की कार्यवाही में प्रार्थी संख्या पॉच श्रीमती नीरजा भूखण्ड संख्या 10 की आशिंक अवाप्ति की गई थी जिसके लिये माननीय उच्च न्यायालय के एसबी सिविल रिट पिटीशन के निर्णय आदेश दिनांक 24.02.2016 के जरिये समस्त अवाप्तियों को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् डीबी स्पेशल अपील रिट में भी दिनांक 15.12.2016 के निर्णय आदेश में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की खारिज कर दी गई। इसके उपरान्त नगर विकास प्रन्यास उच्चतम न्यायालय की शरण में गया पर वहा से भी उक्त वाद अण्डर डिफेक्ट रखा गया है एवं वहां से भी किसी प्रकार का कोई अन्तरीम आदेश प्राप्त नहीं होने से राज उच्च न्यायालय का निर्णय ही प्रभाव में है। तहसीलदार गिर्वा की जांच रिपोर्ट क्रमांक भू अ /19/8 दिनांक 03.01.2019 के बिन्दु संख्या दो में साबिक आराजी नंबर 653 का वर्तमान रकबा साबिक के मुकाबले 0.0710 हेक्टैयर बेशी होना एवं बिन्दू संख्या तीन में आराजी नम्बर 958 का साबिक आराजी संख्या 652 होना लिखा है। आराजी 958 जो कि सरकारी जमीन है पर कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर निर्माण कर रखा है जिसमें निवास एवं व्यवसायिक कार्य कारखाना चला रखा है, में उपयोग किया जा रहा है एवं सरकारी खाते की जमीन का बेचान भी हो चुका है। साबिक आराजी संख्या 653 जिसका हाल आराजी संख्या 958 959 960 बनाये गये है वो कृषि भूमि है शामलाती खाता जिसमें अभी बंटवाड़ा नहीं हुआ है परन्तु खतौनी एवं जमाबंदी विक्रम संवत् 2038 सन 1981 में आराजी संख्या 958 को भी प्लोट के नाम से अंकित कर उसी अनुसार समस्त नक्शों का अनुमोदन किया गया है। और इसके आगे बन्द लिखा हुआ है। वादकारण राजस्व कर्मियों द्वारा सहवन से की गयी लिपिकीय त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई है जो कि अनवरत जारी है। अतः प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी नंबर 959, 960 की 0.0710 हेक्टैयर एवं 969, 970 971 की 0.0622 हैक्टेयर रेकर्ड के आधार पर जो ज्यादा भूमि है उसे नविप्र के खाते दर्ज कराने का आदेश फरमावें साथ ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कब्जेदारों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने बाबत् आदेश फरमावे।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 13.09.2022 प्रसारित किया कि-

> **"उपरोक्त तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट के विवेचानुसार साबिक आराजी संख्या 653 जिसके हाल आराजी संख्या 958 रकबा 0.0350 हेक्टेयर सम्पूर्ण रकबा, आराजी संख्या 959 में से 0.0180 हेक्टैयर एवं आराजी संख्या 960 में से 0.0180 हेक्टैयर कमी की जाकर कुल रकबा 0.0710 हेक्टेयर नगर विकास प्रन्यास नाम दर्ज होनी है।**
>
> **तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट अनुसार साबिक आराजी संख्या 644 में कुल रकबा 0.0522 हेक्टैयर ज्यादा दर्ज हुआ है। साबिक आराजी संख्या 652 में सेटलमेंट के दौरान 0.1220 हेक्टैयर कम दर्ज हुआ है जिसकी पूर्ति हेतु रकबा 0.0710 हेक्टैयर साबिक आराजी संख्या 653 के हाल आराजीयात में से दिया जाने से साबिक आराजी संख्या 652 का रकबा 0.0510 हेक्टैयर की कमी रहती है उक्त शेष रकबे को साबिक आराजी संख्या 644 के हाल आराजी संख्या 969 में से 0.0510 हेक्टैयर कमी किया जाकर हाल आराजी संख्या 942 एवं 943 में दर्ज किया जाना है जिससे साबिक आराजी संख्या 652 से हाल आराजी संख्या 942, 943, 944 में जो कमी रकबा 0.1220 हैक्टैयर कम दर्ज हुई है कि प्रस्तुत सयुंक्त रिपोर्ट अनुसार पूर्ति की जा सकेगी ।**
>
> **अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर मौजा पारड़ा, पटवार हल्का मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा की हाल आराजी संख्या 958 रकबा 0.0350 हेक्टेयर सम्पूर्ण रकबा, आराजी संख्या 959 में से 0.0180 हेक्टैयर एवं आराजी संख्या 960 में से 0.0180 हेक्टैयर कुल किता 3 रकबा 0.0710 हैक्टर कमी कर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम एवं आराजी संख्या 969 में से 0.0510 हेक्टेयर आराजी संख्या 942 एव 943 में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।"**

उक्त निर्णय दिनांक 13.09.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 95 दिनांक 05.01.2024 के क्रम में हस्तगत प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 10.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 16.08.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1, 2 एवं प्रत्यर्थी-51 से 55 की ओर से श्री राजा लोढ़ा स्वयं उपस्थित। अन्य पक्षकारान बावजुद सूचना अनुपस्थित।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपस्थित अधिवक्तागण की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है** कि इस मामलमें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों को बिना समझे ही कथित निर्णय देने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसके रकबे को समझने में भूल की है। इस मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 958 रकबा 0.0365 हैक्टेयर सम्पूर्ण रकबा आराजी नम्बर 959 में से 0.0180 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 960 में से 0.0180 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.0710 हैक्टेयर कमी कर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। इस मामलें में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा कोई प्रार्थना पत्र कमी रकबे के बारे में प्रस्तुत कर रकबा बढ़ोतरी के संबंध में नहीं की गई, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अविधिक निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय रकबा कमी पूर्ति के आदेश तो जारी किया परन्तु यह नहीं बताया गया कि कमी रकबे की किन आराजीयता में बढ़ोतरी करनी है और किन खातेदारों के रकबे में कम कर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज करनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संक्षिप्त सुनवाई कर समस्त खातेदारों के हितों के विपरित उक्त अविधिक निर्णय पारित किया गया हैं, खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13.09.2022 की कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी, अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.07.2023 को हुई जब राजस्व कर्मचारी एवं रेस्पोडेंट-51 मौके पर आये और नपती करनी चाही तब पुछे जाने पर उक्त निर्णय की जानकारी प्रदान की गई और नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2023(2) डीएनजे (रेवे.) 1420 एवं 2023(2) डीएनजे (रेवे.) 1463 पेश किये। **प्रत्यर्थी-तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार** द्वारा अपने कथन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में प्रत्येक बिन्दु पर अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट करते हुए निर्णय पारित किया गया। संबंधित तहसीलदार से रिर्पोट प्राप्त की गई और अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त परिक्षण कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाधित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। **प्रत्यर्थी-नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की ओर से उपस्थित पेरोकार** द्वारा अपने कथन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। राजस्व ग्राम पायड़ा के आराजी संख्या 942, 943, 944 में स्थित भूखण्ड संख्या 7 से 11 के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को प्राप्त होन पर मोके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। खातेदारों द्वारा बंटवाडे के आधार पर नियमन चाहा गया, परन्तु समीपीय आराजी संख्या 958 के खातेदारों द्वारा भूमि का स्वामित्व अपना बताते हुए चारदीवारी निर्माण करने पर आपत्ति प्रस्तुत की गई, उक्त प्रकरण में आराजी नम्बर 958 के खातेदारों द्वारा तहसीलदार गिर्वा, जिला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उदयपुर के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमा जानकारी भी कराई गई है। सीमा जानकारी के अनुसार भूमि रूपान्तरण के अनुमोदित प्लान में आराजी नम्बर 958 की भूमि का आंशिक भाग आ रहा है। चूंकि साबिक आराजी एवं नये आराजी में 0.1220 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज हुई हैं अतः दोनो पक्षों व आराजी नम्बर 942, 943, 944 के खातेदारों एवं आराजी नम्बर 958 के खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रेकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर को दिनांक 08.10.2018 को पत्र लिखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच कमेटी गठित कर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें वांछित संशोधन की अनुशंषा मय राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत पारित किया है। प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाधित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। **विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथनों के खण्डन में प्रत्यर्थी-51 से 55 द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि उनके पिता स्व. प्यारेलाल लोढा साबिक आराजी संख्या 652 रकबा 2 बीघा कृषि भूमि भूमि को दिनांक 25.03.82 को ग्राम पायड़ा जोन 3 के आवासीय/व्यवसायिक कार्य हेतु रूपान्तरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नंबर 95/82, 99/82, 98/82, 97/82 एवं 96/82 दर्ज होकर आदेश दिनांक 11.08.87 को द्वारा न्यायालय प्राधिकत अधिकारी (एसडीओ भूमि रूपान्तरण प्रथम) द्वारा विस्तृत जांच करने के पश्चात नियमन आदेश जारी किये गयें। श्री संजय मेहता पुत्र स्व. हिम्मतसिंह मेहता निवासी 59, मेहता जी की खिड़की उदयपुर द्वारा अपने हिस्से की जमीन में से श्रीमती अजरा पत्नी महबुब खान निवासी 19 गरीब नवाज कॉलोनी रूपसागर, उदयपुर 484/5250 हिस्से को उक्त क्रेता को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय गलत षडयन्त्रकारी एवं धोखाधड़ीपूर्वक किया गया क्योंकि संजय मेहता ने सरकारी भूमि जो कि आराजी संख्या 958 रकबा 0.0350 हैक्टैयर एवं साबिक आराजी संख्या 653 रकबा डेढ बीघा अर्थात 0.3240 हैक्टेयर था जिसके हाल आराजी संख्या 959 व 960 जिसका रकबा 0.3950 हेक्टेयर खाते में दर्ज है जो कि 0.0710 हैक्टेयर अधिक है एवं यह अधिक भूमि राज्य सरकार की है एवं हाल आराजी संख्या बिलानाम 961 जो रास्ते की दर्शायी गयी है पर भी अनाधिकृत रूप से अपना कब्जा कर रखा है। इसकी सत्यता के लिये प्रकरण संख्या 45/2015 एवं प्रकरण संख्या 323/2016 के अन्दर आदेश धारा 91ए नगर विकास प्रन्यास अधिनियम 1956 के अन्तर्गत फैसला दिनांक 20.04.2015 एवं 09.02.2017 को पारित किया है जिसमें उक्त दोनो प्रकरण में उक्त श्रीमती अजरा एवं संजय को अतिक्रमी मानकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। खसरा पत्रक पायड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर विक्रम संवत् 2038 सन् 1981 के अनुसार रेकर्ड ऑफ राईट के तहत खसरा नंबर 958 क्षेत्रफल 0.0350 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बिड को प्लाट से संबोधित कर दर्ज कर रखा है एवं विक्रम संवत् 2042 जमाबन्दी के अनुसार खसरा नंबर 942 एवं 958 के आगे प्लोट अंकित है जो एसडीओ एल सी प्रथम के आदेश एसटीपी के एप्रुवल कलेक्टर के अप्रुवल से अनुमोदित नक्शे के अनुसार ही है परन्तु 17.07.2014 के बेचान के बाद साबिक आराजी 653 हाल आराजी 959, 960 में दर्ज कर दी गयी है जिससे उक्त आराजी का रकबा 0.0710 हैक्टेयर ज्यादा हो गया। इसकी शुद्धि करा पुनः सरकार के नाम पर दर्ज कराया जाना आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। संजय मेहता द्वारा विक्रय पत्र के अन्दर विक्रेता एवं क्रेता का साफ रूप से जालसाजी,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धोखाधडी को दर्शाती है क्योंकि आराजी संख्या 958 को उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय करना दर्ज कर रखा है जो सरकारी भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या 51 से 55 की साबिक आराजी नंबर 652 रकबा 2 बीघा अर्थात 0.4320 हेक्टेयर भूमि ग्राम पायड़ा हल्का मादड़ी पुरोहितान तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में स्थित होकर हाल आराजी संख्या 942 रकबा 0.0450 हेक्टेयर 943 रकबा 0.1850 हेक्टेयर एवं 944 रकबा 0.0800 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.3100 हेक्टेयर ही रह गया है। अर्थात साबिक आराजी से नये आराजी में रकबा 0.1220 हेक्टेयर क्षेत्रफल कम दर्ज हुआ है जिसके लिये विशेषाधिकारी नविप्र उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ ॥ ( ) रिजन 2/ /2018/493 दिनांक 08.10.2018 द्वारा दोनों पक्षों आराजी संख्या 942, 943, 944 के खातेदार एवं आराजी नंबर 958 के खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रेकर्ड में दुरूस्ती/शुद्धि की कार्यवाही यदि आवश्यक हो तो धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निवेदन किया है। रेस्पोडेंट संख्या 51 से 55 की हाल आराजी में से जो कि 942, 943, 944 एवं 958 है आराजी संख्या 958 विपक्षीगण तीन से इक्यावन (अधीनस्थ न्यायालय के प्रत्यर्थीत तक के विरूद्ध है और प्रभावित हितबद्ध पक्षकार प्रार्थीगण एवं नविप्र एवं तहसीलदार गिर्वा है, जोकि विधिक रूप से 90 बी के पश्चात एवं कृषि भूमि होने के नाते सरकार का अधिकार है किन्तु दिनेश पिता स्व. कन्हैयालाल मेहता एवं अन्य तो लिपिकीय त्रुटि की वजह से खातेदार दर्ज कर दिये गये है जिसकी शुद्धि कराना न्यायोचित था, आराजी नंबर 958 लिपिकीय त्रुटि के कारण आराजी संख्या 959 960 में दर्ज कर दी गयी है जो कि सक्षम न्यायालय (एसडीओ एल सी प्रथम उदयपुर) के आदेशों के विरूद्ध है। साथ ही आराजी संख्या 969, 970 971 में दर्ज 0.0622 हेक्टैयर ज्यादा भूमि भी उपरोक्त वर्णित सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विपरीत है क्योंकि नविप्र पत्र एफ ॥ ( ) रिजन 2/ /2018/493 दिनांक 08.10.2018 में स्वीकार किया गया कि युआईटी उदयपुर के खाते में 0. 1220 हेक्टेयर भूमि कम दर्ज हुई है यह स्थापित होता है जो कि 0.710 हेक्टैयर एवं 0.0622 हेक्टेयर कुल 0.1332 हेक्टैयर होती है। माननीय राज्यपाल महोदय की अधिसूचना क्रमांक प 6 (30) नाविवि/2000 जयपुर दिनाक 01.11.2002 में डिस्ट्रीक्ट सेन्टर राणा प्रताप सागर योजना में आने वाली समस्त भूमि को विवरण राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित कराया गया एवं उसे जरिये अवाप्ति की सूचना जारी की गयी तत्पश्चात अवाप्ति की कार्यवाही में प्रार्थी संख्या पॉच श्रीमती नीरजा भूखण्ड संख्या 10 की आशिंक अवाप्ति की गई थी जिसके लिये माननीय उच्च न्यायालय के एसबी सिविल रिट पिटीशन के निर्णय आदेश दिनांक 24.02.2016 के जरिये समस्त अवाप्तियों को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् डीबी स्पेशल अपील रिट में भी दिनांक 15.12.2016 के निर्णय आदेश में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की खारिज कर दी गई। इसके उपरान्त नगर विकास प्रन्यास उच्चतम न्यायालय की शरण में गया पर वहा से भी उक्त वाद अण्डर डिफेक्ट रखा गया है एवं वहां से भी किसी प्रकार का कोई अन्तरीम आदेश प्राप्त नहीं होने से राज उच्च न्यायालय का निर्णय ही प्रभाव में है। तहसीलदार गिर्वा की जांच रिपोर्ट क्रमांक भू अ /19/8 दिनांक 03.01.2019 के बिन्दु संख्या दो में साबिक आराजी नंबर 653 का वर्तमान रकबा साबिक के मुकाबले 0.0710 हेक्टैयर बेशी होना एवं बिन्दू संख्या तीन में आराजी नम्बर 958 का साबिक आराजी संख्या 652 होना लिखा है। आराजी 958 जो कि सरकारी जमीन है पर कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर निर्माण कर रखा है जिसमें निवास एवं व्यवसायिक कार्य कारखाना चला रखा है, में उपयोग किया जा रहा है एवं सरकारी खाते की जमीन का बेचान भी हो चुका है। साबिक आराजी संख्या 653 जिसका हाल आराजी संख्या 958	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	959 960 बनाये गये है वो कृषि भूमि है शामलाती खाता जिसमें अभी बंटवाड़ा नहीं हुआ है परन्तु खतौनी एवं जमाबंदी विक्रम संवत् 2038 सन 1981 में आराजी संख्या 958 को भी प्लोट के नाम से अंकित कर उसी अनुसार समस्त नक्शों का अनुमोदन किया गया है। और इसके आगे बन्द लिखा हुआ है। वादकारण राजस्व कर्मियों द्वारा सहवन से की गयी लिपिकीय त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई है जो कि अनवरत जारी है। आराजी नंबर 959, 960 की 0.0710 हेक्टैयर एवं 969, 970 971 की 0.0622 हैक्टेयर रेकर्ड के आधार पर जो ज्यादा भूमि है उसे नविप्र के खाते दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच कमेटी गठित कर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें वांछित संशोधन की अनुशंषा मय राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत पारित किया है। प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाधित है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रथम पेशी पर ही वकालत पत्र पेश कर दिया गया था, दिनांक 18.12.2019 से 13.09.2022 तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 50 पेशियां हुई। प्रकरण में सभी खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया था और इतनी पेशियां पर पक्षकारान के जवाब बन्द कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का अपीलाधीन आदेश एवं कार्यवाही जानकारी आरम्भ से थी। अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुए प्रत्येक दिन के कारणों का उल्लेख किया जाना था जो नहीं किया गया, ऐसे में उक्त अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अंत में रेस्पोडेंट 51 से 55 की ओर से उपस्थित श्री राजा लोढ़ा द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।** जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। विधि के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत हम यहां सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक समझते है। मयाद के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी एवं उपस्थित अधिक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने अपने कथन प्रस्तुत किये। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया किअधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13.09.2022 की कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी, अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.07.2023 को हुई जब राजस्व कर्मचारी एवं रेस्पोडेंट-51 मौके पर आये और नपती करनी चाही तब पुछे जाने पर उक्त निर्णय की जानकारी प्रदान की गई और नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। इसके विपरित उपस्थित अधिक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा कथन किये गये कि प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाधित है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रथम पेशी पर ही वकालत पत्र पेश कर दिया गया था, दिनांक 18.12.2019 से 13.09.2022 तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 50 पेशियां हुई। प्रकरण में सभी खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया था और इतनी पेशियां पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पक्षकारान के जवाब बन्द कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का अपीलाधीन आदेश एवं कार्यवाही जानकारी आरम्भ से थी। अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुए प्रत्येक दिन के कारणों का उल्लेख किया जाना था जो नहीं किया गया, ऐसे में उक्त अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के आवेदन को दिनांक 28.11.2019 को दर्ज किया जाना सभी पक्षकारान खातेदारों का सम्मन/नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 18.12.2019 नियत की गई। उक्त दिवस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विजय कुमार ओस्तवाल द्वारा उपस्थित होकर अपीलार्थी और अन्य खातेदारान की ओर से वकालतपत्र पेश किये गये। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने से निर्णय दिनांक 13.09. 2022 तक 50 पेशियां प्रदान की गई और प्रकरण 2 साल से भी अधिक्त समय तक विचाराधीन रहा। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को नोटिस तामिल हुआ, उसकी ओर से श्री विजय कुमार ओस्तवाल द्वारा वकालत पत्र पेश किया गया। ऐसे में यह तो स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष जारी कार्यवाही की जानकारी ससमय थी, जिस बाबत उसे जारी नोटिस की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी न हो। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी 10 माह से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विनिश्चय के संबंध में यहा हम मयाद के बिदुं पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है, जो इस प्रकरण में पर चस्पा होते हैः

<u>आर.आर.टी.2017(1) पेज 117 उनवानी वी.एस.मर्तिया व अन्य बनाम जोधाना रियल एस्टेट डेवलमेंट कम्पनी प्रा.लि. (राज.उच्च न्यायालय)</u>

परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-सिविल प्रक्रिया संहिता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1908-धारा 100-विलम्ब का शमन-अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब-मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपना जा सकता अन्यया यह मयाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा - विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं-निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य है।

<u>आर.बी.जे(5) 1998 पेज 512 उनवानी हुक्मा बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर)</u>

Limitation Act, 1963 – Section 5 – When appellant did not explain the reasons for late fiing of the appeal after the knowledge of the judgement passed by the Court against him, delay cannot be condoned – in the present case this was an admitted position that the appellant filed appeal after 10 years from the date of judgement of the RAA. He claimed that he was not informed by his advocate about the judgement passed by the RAA. He come to know through mutation No. 44 against which he filed the appeal which was dismissed. Therefore from the facts it is clear that when he obtained the copy of mutation and filed the appeal against the mutation order he come to know the judgement. But he did not prefer the appeal. Hence from the date of knowledge the appeal is time barred. Therefore, Board of Revenue rejected the appeal as time barred.

उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से तथ्य प्रकट हुआ कि विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को पत्र दिनांक 08.10.2018 से यह अवगत कराया किया कि ''आराजी संख्या 942, 943, 944 के खातेदार द्वारा बंटवारे के आधार पर नियमन चाहा जा रहा है किन्तु समीपीय आराजी संख्या 958 के खातेदार द्वारा भूमि का स्वामित्व अपना बताते हुए चारदिवारी का निर्माण करने पर आपत्ति प्रस्तुत की है तथा इसके संबंध में थाना प्रतापनगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। आराजी संख्या 958 के खातेदार द्वारा तहसीलदार गिर्वा के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमा जानकारी भी कराई गई है। सीमा जानकारी अनुसार भूमि रूपान्तरण के अनुमोदित प्लान में आराजी संख्या 958 की भूमि का आंशिक भाग आ रहा है। चूंकि साबिक आराजी एवं नये आराजी में रकबा 0.1220 हैक्टर भूमि कम दर्ज हुई अतः दोनों पक्षों आरजाी संख्या 942, 943, 944 के खातेदारों एवं आराजी संख्या 958 के खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रिकार्ड में दुरस्ती की कार्यवाही, यदि आवश्यक हो तो, धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत करने का श्रम करें।''

उपरोक्त पत्र से यह जाहिर होता है कि विवादित आराजीयात के साबिक व अन्ये आराजीयात मे रकबा 1220 हैक्टेयर कम दर्ज हुई है, जिस हेतु नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा धारा-136 एलआर एक्ट की कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ऐसे में अपीलार्थी का यह उज्र, कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा वांछित इन्द्राज दुरस्ती हेतु निवेदन नहीं किया गया है, स्वीकार्य योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा-136 एल आर एक्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट निम्न बिन्दुओं पर प्राप्त की गई। इस संबंध में जांच कमेटी भी गठित की गईः

- साबिक आराजी संख्या 652 में से जो रकबा 0.1220 हेक्टैयर कम दर्ज हुआ है वह किस हाल आराजीयात में कम दर्ज हुआ है।
- साबिक आराजी संख्या 653 में जो रकबा 0.0710 हेक्टेयर बढोतरी हुई है वह किस हाल आराजीयात में बढोतरी हुई है।
- साबिक आराजी संख्या 644 में जो रकबा 0.0422 हेक्टैयर की बढोतरी हुई वह किस हाल आराजीयात में बढोतरी हुई है।
- उक्त रकबा 0.1220 हेक्टेयर जो कम दर्ज हुआ है वह कौनसी हाल आराजीयात में से कम किया जाकर किस हाल आराजीयात में बढ़ाया जाना है।

उपरोक्तानुसार मौका रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार गिर्वा द्वारा दिनांक 16.03.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि

> ‘‘राजस्व ग्राम पारड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर की हाल बंदोबस्ती जमाबंदी खाता संख्या 83 में खसरा नंबर 942 से 949 एवं 956 किता 9 क्षेत्रफल 1.2700 हेक्टेयर भूमि का संयुक्त खातेदारी हक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नंम्बर की भूमि साबिक खसरा संख्या 650, 651 एवं 652 किता 03 क्षेत्रफल 6.00 बीघा भूमि से बने है।
>
> गणना अनुसार 06.00 बीघा (जरीब 15) फीट) के आधार पर मेट्रिक गणना में रूपांतरण 0.2160 हैक्टेयर प्रति बीघा की दर से 1.2960 हेक्टैयर भूमि का स्वत्व बनता है। इसकी तुलना में हाल खाते की भूमि 1.2700 हेक्टेयर है। जो 0.0260 हेक्टेयर कम दर्ज रिकार्ड होना स्पश्ट है।
>
> मौके पर साबिक एवं हाल नक्शे से तुलनात्मक जांच करने से यह स्पष्ट है कि
>
> हाल खसरा नंबर 958 क्षेत्रफल 0.0350 हेक्टेयर भूमि मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नंबर 653 से बनना बताया है। जो नक्शे अनुसार गलत होकर यह साबिक खसरा नंबर 652 से बनना मौके एवं साबिक हाल नक्शे की तुलना से स्पष्ट है अतः मिलान क्षेत्रफल की त्रुटि को सही करना अपेक्षित है। इस दुरूस्ती से वादीगण को रकबा पूर्ति में सहायक होगी।
>
> साबिक खसरा नंबर 525 से बने हाल खसरा नंबर 957 की मौके एवं साबिक हाल नक्शों से तुलना करने पर साबिक खसरा संख्या 652 हाल आराजी संख्या 943 से 0.0060 हेक्टेयर 944 से 0. 0010 हेक्टेयर 946 से 0.0020 हेक्टैयर किता 3 रकबा 0.0090 हेक्टेयर भूमी वादीगणों की खातेदारी भूमि कम करके हाल खसरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नंबर 957 में जोड़ा जाएगा तो इस दुरूस्ती से वादी गण को रकबा पूर्ति में सहायक होगी अर्थात भूमिधारी की (बिलानाम रास्ता भूमि में जोड़ा जाने से) बेशी होगी तथा पेरा नं. 1 (घ) से पुनः संतुलित हो जावेगी।

दूसरी तरफ साबिक खसरा संख्या 525 हाल खसरा संख्या 961 से क्षेत्रफल 0.0020, खसरा संख्या 962 से क्षेत्रफल 0.0035, खसरा संख्या 963 से क्षेत्रफल 0.0035 हेक्टेयर भूमि भूमिधारी की बिलानाम रास्ता भूमि कर करके हाल खसरा संख्या 960 में जोड़ा जावेगा तो इस दुरूस्ती से भूमिधारी को रकबा पूर्ति में सहायक होगी अर्थात पैरा 1 (ख) से भूमिधारी की बेशी हुई भूमि को पुनः हाल खसरा संख्या 960 में प्रदान करने से संतुलित हो जावेगी।

बिन्दु संख्या 2 का प्रत्युत्तर में तुलनात्मक विवेचन निम्नवत है :-

साबिक खसरा संख्या	बेशी रकबा से संबधित खसरा		क्षेत्रफल हेक्टेयर
653 यूआईटी खाते	साबिक	हाल	क्षेत्रफल
	644	959	0.0200
	652	958	0.0060
	653	960	0.0450
	कुल बेशी रकबा		0.0710 हेक्टैयर

बिन्दु संख्या 3 के प्रत्युत्तर में तुलनात्मक विवेचन निम्नवत है :-

साबिक खसरा संख्या (क)	बेशी रकबा से संबधित खसरा		क्षेत्रफल हेक्टेयर
644 यूआईटी खाते	साबिक	हाल	क्षेत्रफल
	650	969	0.0160
	643	972	0.0340
	644	983	0.0150
	644	970	0.0200
	कुल बेशी रकबा		0.0850 हेक्टैयर

साबिक खसरा संख्या (ख)	बेशी रकबा से संबधित खसरा		क्षेत्रफल हेक्टेयर
644 यूआईटी खाते	साबिक	हाल	क्षेत्रफल
	653	959	0.0200
	654	967	0.0080
		968	0.0148
	कुल बेशी रकबा		0.0428 हेक्टैयर

उपरोक्त विवेचना अनुसार कुल बेशी रकबा 0.0850 हेक्टैयर में से कमी रकबा 0.0428 हेक्टैयर घटाने पर शुद्ध देशी रकबा 0.0428 हेक्टैयर हुआ।

साबिक खसरा संख्या 652 के साथ साथ हाल बदोबस्ती मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा संख्या 650 एवं 651 के क्षेत्रफल की गणना एवं फैलावट संयुक्त रूप से अंतरसमायोजित की हुई है। इसलिए साबिक खसरा संख्या 652 का कमी रकबा संयुक्त फैलावट गणना से दूर हो गया है। साबिक खसरा संख्या 653 क्षेत्रफल 1 बीघा 10 बिस्वा (अर्थात मीट्रिक से 0.3240 हेक्टैयर) के मुकाबले

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हाल खसरा संख्या 958/0.0350, 959/ 0.3000 एवं 960/0. 0600 किता 3 क्षेत्रफल 0.3950 हेक्ट. होता है जो 0.0710 हेक्टैयरबे-ी हुआ। नक्शे की तुलना करने पर हाल आराजी नंबर 961 में से 0.0020, 962 में से 0.0035 एवं 963 में से 0.0035 कुल 0.0090 हेक्टेयर भूमि भी समाहित होकर बेशी होगी।

साबिक खसरा संख्या 644 क्षेत्रफल 2 बीघा 01 बिस्वा (अर्थात मैट्रिक से 0.4428 हेक्टैयर) के मुकाबले हाल खसरा संख्या 983/0.0150, 969/0.4500 एवं 970/0.0300 किता 3 क्षेत्रफल 0.4950 हेक्टैयर होता है जो 0.0522 हेक्टैयर बेशी हुआ।

साबिक खसरा संख्या 643 क्षेत्रफल 1 बीघा 06 बिस्वा (अर्थात मेट्रिक से 0.2808 हेक्टेयर) के मुकाबले हाल खसरा संख्या 971/0.0050 हेक्टेयर, 972/0.2050 973/0.0050 एवं 974 किता 4 क्षेत्रफल 0.2300 हेक्टेयर होता है जो 0.0508 हेक्टैयर कमी हुआ।

साबिक खसरा संख्या 654 क्षेत्रफल 1 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा संख्या 655 क्षेत्रफल 0.11 बिस्वा योग क्षेत्रफल 2 बीघा 07 बिस्वा (अर्थात मैट्रिक से 0.5076 हेक्टेयर) के मुकाबले हाल खसरा संख्या 964/0.0200, 965/0.0400, 966/0.2000, 967/0.0600, 968/0.0800, 984/0.1600, 985/0.0450 एवं 986/0.0300 हेक्टेयर किता 8 क्षेत्रफल 0.6350 हेक्टेयर होता है जो 0.1274 हेक्टैयर बेशी है।

साबिक बंदोबस्ती नक्शे के मुकाबले हाल बंदोबस्त के समय मौके पर मेढो में परिवर्तन होने से हाल नक्शे में अन्य खसरों की भूमि अंतनिहित हुई है जिससे क्षेत्रफल में कमी बेशी होना गणना अनुसार एवं तुलनात्मक नक्शों का भौतिक सत्यापन के आधार पर पाया जाता है। चुकि यह अन्तर्लयन निरन्तर है। ऐसे स्थिति में साबिक खसरा संख्या 652 के 0.1220 हेक्टैयर की कमी साबिक खसरा संख्या 650 एवं 651 में से पूर्ति हो जाने से किसी हाल खसरा में कमी बेशी नहीं कर के केवल नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम एवं स्वत्व की हाल खसरा संख्या 959, 960, 969, 970 एवं 983 की क्षेत्रफल गणना साबिक के मुकाबले बेशी होने से समग्र रूप से समाहित होन की शुद्धि होगी जिसे प्रकरण के विपक्षी संख्या 2 ने भी स्वीकार किया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कमी बेशी के रकबे की शुद्धि बिंदुवार विवरण अनुसार की जाना उचित है। यह क्षेत्रफल अन्तर्निहित एव अन्तर्लयित है।''

प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट अनुसार साबिक आराजी संख्या 652 रकबा 2 बीघा अर्थात 0.4320 हैक्टैयर था जो कि दौराने सेटलमेंट नये आराजी संख्या 943 रकबा 0.1850 हैक्टेयर आराजी सख्या 942 रकबा 0.0450 एवं आराजी संख्या 944 रकबा 0.0800 कुल किता 3 रकबा 0.3100 ही दर्ज रिकार्ड हुआ है जिसमें साबिक के मुकाबले हाल रकबा 0.1220 हैक्टेयर कम दर्ज हुआ है।

साबिक आराजी संख्या 653 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 0.3240

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हैक्टेयर था जो कि दौराने सेटलमेंट नये आराजी संख्या 958 रकबा 0.0350 हैक्टेयर आराजी संख्या 959 रकबा 0.3000 हैक्टेयर आराजी संख्या 960 रकबा 0.0600 हेक्टैयर कुल किता 3 रकबा 0.3950 हैक्टेयर ही दर्ज हुआ है जो कि साबिक के मुकाबले हाल रकबा 0.0710 हेक्टैयर ज्यादा दर्ज हुआ है। साबिक आराजी संख्या 644 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 0.4228 हेक्टैयर था जो कि दौराने सेटलमेंट नये आराजी संख्या 983 रकबा 0.0150 हेक्टैयर 969 रकबा 0.4500 हेक्टेयर आराजी संख्या 970 रकबा 0.0300 हेक्टैयर कुल किता 03 रकबा 0.4950 हेक्टैयर दर्ज हुआ है जो कि साबिक के मुकाबले 0. 0522 हैक्टैयर ज्यादा दर्ज हुआ है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट के उपरोक्त विवेचानुसार साबिक आराजी संख्या 653 जिसके हाल आराजी संख्या 958 रकबा 0.0350 हेक्टेयर सम्पूर्ण रकबा, आराजी संख्या 959 में से 0.0180 हेक्टैयर एवं आराजी संख्या 960 में से 0.0180 हेक्टैयर कमी की जाकर कुल रकबा 0.0710 हेक्टेयर नगर विकास प्रन्यास नाम दर्ज होनी चाहिए। तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट अनुसार साबिक आराजी संख्या 644 में कुल रकबा 0.0522 हेक्टैयर ज्यादा दर्ज हुआ है। साबिक आराजी संख्या 652 में सेटलमेंट के दौरान 0.1220 हेक्टैयर कम दर्ज हुआ है जिसकी पूर्ति हेतु रकबा 0.0710 हेक्टैयर साबिक आराजी संख्या 653 के हाल आराजीयात में से दिया जाने से साबिक आराजी संख्या 652 का रकबा 0.0510 हेक्टैयर की कमी रहती है उक्त शेष रकबे को साबिक आराजी संख्या 644 के हाल आराजी संख्या 969 में से 0.0510 हेक्टैयर कमी किया जाकर हाल आराजी संख्या 942 एवं 943 में दर्ज किया जाना है जिससे साबिक आराजी संख्या 652 से हाल आराजी संख्या 942, 943, 944 में जो कमी रकबा 0.1220 हैक्टैयर कम दर्ज हुई है कि प्रस्तुत सयुंक्त रिपोर्ट अनुसार पूर्ति किया जाना आवश्यक थी। उक्त रिपोर्ट मय राजस्व अभिलेखों के विस्तृत अवलोकन एवं परिक्षण उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार वांछित इन्द्राज दुरस्ती हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। जहां तक अपीलार्थी का उज्र है कि सभी खातेदारान का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया गया जिनको अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार 50 अवसर प्रदान किय गये जो फर्दअहकाम से जाहिर होते है। ऐसे में अपीलार्थी का यह उज्र खारिज योग्य है। यह मान भी लिया जावें कि उनको अवसर प्रदान नहीं किया गया, परन्तु सभी खातेदारान को इस न्यायालय समक्ष भी पक्षकार बनाया गया और उनको कई अवसर प्रदान किये गये। अपीलार्थी को भी समान अवसर प्रदान किये गये, परन्तु वह अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित कराने के असफल रहा है और अपील में प्रस्तुत कथनों को प्रमाणित नहीं कर पाया है। इसके विपरित प्रत्यर्थी-51 से 55 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जो उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की ताईद करते है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। गुणावगुण पर प्रकरण के विस्तृत विश्लेषण एवं परिक्षणोपरांत भी यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच नियमानुसार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 24/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/126) **अजरा खान बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यवाही करते हुए विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत अपना स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। **परिणामतः प्रस्तुत अपील मयाद बाधित होने से एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2022 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी, R.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	